

## नारी वर्ग और समाजिक परिवर्तन के विविध आयाम

डॉ. फरहा एम. रिजवी

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,  
शिया पीजी कॉलेज, लखनऊ

स्त्री कई सारे रिश्ते में बंधी होती है सिर्फ उसका रिश्ता खुद की भावनाओं से ही नहीं होता क्योंकि कोई यह मानता ही नहीं कि स्त्री का अपना कोई सुख- दुःख भी होता होगा। अधिकांश घरों में जो खाने की अच्छी वस्तु होती है उस पर बेटों का हक होता है, माँ अगर कहती है कि जा यह फल अपने भाई को दे, तो वह अपने भाई को फल देने चल देती है क्योंकि उसके अंदर यह चेतना ही नहीं है कि भाई के देने बजाए वो खुद भी फल खा सकती हैं। यह एक परम्परागत स्थिति है जहाँ माँ ने भी अपनी माँ से और उनकी माँ ने अपनी माँ से सीखा होगा, यानी जिस प्रकार पुरुषों को अहंकार, दमन और सत्ता समाज के द्वारा विरासत में मिली है ठीक उसी प्रकार अपने ना होने का हर पल अहसास स्त्रियों को भी विरासत में मिली है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था “जब तक महिलाओं की दशा को सुधारा नहीं जायेगा तब तक विश्व कल्याण संभव नहीं है, परिंदे के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।”<sup>[1]</sup>

वर्तमान समय में स्त्री और उनके मुद्दों को लेकर कितनी - कितनी बहसें हो रही है। स्त्रीवादी विमर्श स्त्री की मानवीय अस्मिता रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कहने को स्त्री आधी दुनिया है लेकिन बात अगर तराजू और पैमाना लेकर पुरुष-स्त्री के बीच जमीन-आसमान, घर- समाज और संसद से सड़क को आधा-आधा बाटना नहीं चाहता हैं। वर्गों और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में बंटे समाज में स्त्री की हालत इसलिए भी बुरी है क्योंकि वह इन विभेदों के साथ-साथ पितृसत्तात्मक समाज को भी झेल रही हैं। आजादी के बाद देश में जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलाव हुये उस बदलाव में स्त्रियों की साझेदारी रही है। साझेदारी से ज्यादा उसने घर और बाहर के मोर्चे पर दोहरी लड़ाई लड़ी है पर ये लड़ाइयाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुईं जो कुछ नाम दर्ज हैं वे इसलिए कि इन नामों के बिना इतिहास लिखा नहीं जा सकता था वर्जीनिया वुल्फ ने एक जगह लिखा है “इतिहास में जो कुछ अनाम है वह औरतों के नाम है।” जब-जब नियंत्रण हुआ है महिलाएँ अपने मुक्ति का रास्ता

खुद ही निकालती रही है। डॉ. पायल लिल्लहारे डॉ. रोहिणी अग्रवाल का हवाला देकर लिखती हैं, कि “मनुष्य की सोच और दृष्टि में अपेक्षित परिवर्तन के बिना स्त्री- मुक्ति बेईमानी है” [ii] स्त्री- मुक्ति के लिए सर्वप्रथम पुरुष की संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह स्त्री को एक ‘वस्तु’ न मानकर मनुष्य का दर्जा दे पायेगा। रेखा कस्तवार लिखती हैं “साहित्य जगत में विगत दस वर्षों में स्त्री का समाज के केन्द्र में आना और उससे आगे बढ़कर विचार के केन्द्र में आना हमारे आर्थिक सामाजिक विकास का परिणाम है। इन दस वर्षों में स्त्री मुक्ति के सभी प्रश्न उठे, आयोग बने, कानून बदले, नए कानून बने। जनसंचार, पत्रकारिता, शिक्षा, तकनीकी क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में पढ़ी लिखी महिलाओं ने एक महत्त्वपूर्ण स्थिति दर्ज की।” [iii] स्त्री चाहे किसी भी वर्ग की हो वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था की मार सहती ही है। आज स्त्री शिक्षित हुई है, वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। भूमंडलीकरण के दौर में स्त्री घर से बाहर निकली और आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हुई, कई ऐसे क्षेत्र थे जहां स्त्रियों को जाना वर्जित था, वहां वे आज अपनी भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा एवं रोजगार ने उसके जीने का नजरिया बदला।

स्त्री संघर्ष का इतिहास काफी पुराना रहा है या कहें तो स्त्री शोषण के साथ ही उनका संघर्ष की शुरुआत होती है। महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास और उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन के प्रयासों इत्यादि को नारीवाद के रूप में जाना जाता है। स्त्रियों की आजादी का पहला पाठ संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाच्यूएट्स राज्य में 1611 में वोट देने का अधिकार से शुरू हुआ। इसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। मगर दुर्भाग्य यह रहा कि कुछ स्त्री विरोधी विचारकों की वजह से उनका यह मताधिकार इसी राज्य में 1780 में वापस ले लिया गया था। इन निर्णयों से दुनिया में स्त्रियों के समर्थन और विरोध के स्वर एक साथ गुंजने लगे थे। जहाँ उदारवादी पुरुष समुदाय स्त्रियों की स्थितियाँ सुधारने का प्रयास कर रहा था तो अनुदारवादी वर्ग उनके कदमों को पीछे खींच रहा था। स्त्रियों के अधिकार माताधिकार, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों की शुरुआत से उन्हें संगठित करने की मांग उठी। किसी भी संगठन और संघर्ष को मूर्त रूप शिक्षा के पाठ से प्रारम्भ होता है। यह बात भारत में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों के विकास के लिए तीन सूत्र देकर कही थी। “शिक्षित हो, संगठित हो, और संघर्ष करो।” [iv] उन्होंने शिक्षित होने की बात पहले की थी। स्त्री मुक्ति के बारे में

भी यही फार्मूला लागू होता है। वे शिक्षित होंगी तो संगठित भी होंगी और अपने हकों के लिए संघर्ष भी कर सकती हैं।

नारी मुक्ति या नारीवादी चिंतन पश्चिमी विचारधारा के शब्द भले हो। मगर पूरी दुनिया की स्त्रियाँ दोगम दर्जे का जीवन जीती रही है। अशिक्षा की मार के साथ-साथ घरेलू हिंसा का शिकार होती रही। आर्थिक रूप से पराधीन तो बनी ही रही। आज भी स्त्रियों की बड़ी आबादी खासकर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ वर्ग संघर्ष कर अधिकार प्राप्त करना तो चाहती है पर सफलता गिनती मात्र की मिलती है। वर्तमान में सबरीमाला का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद भी स्त्रियाँ मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन कर रही है। कामाख्या पीठ भी उन्हें कुछ समय के लिए इजाजत नहीं देता। महाबारी के समय घर से बाहर कर सबसे अलग थलग कर देना विज्ञान को खुली चुनौती देता है। स्त्रियों में पहले गुलामी से मुक्ति की छटपटाहट पैदा हुई और उन्हें आजादी भी मिली। आज नारी मुक्ति से आशय एक वर्ग देह मुक्ति से जोड़ कर देखता है परंतु बीसवीं सदी के लगभग मध्य में 'सिमोन द बोउवार' स्त्री मुक्ति की मुख्य पैरोकार के रूप में उभरी थी। दुनिया में उन्होंने अपना मुकाम बनाया था। जिसका दुनिया की उन सभी चेतनशील स्त्रियों पर प्रभाव पड़ा जो शिक्षित थी और जो स्त्री मुक्ति के सपने देखती थी। भारत की कुछ जागी हुए शिक्षित स्त्रियाँ उनके सिद्धान्त को अतिवादिता से भी जोड़ती थी। सिमोन दुनिया की औरतों से कहती थी कि "स्त्री पैदा नहीं होती बना दी जाती है।"[v] यह वह विचार था जो स्त्रीत्व के बोध से मुक्ति चाहता था। लेकिन इसके चिंतन में स्त्री को आत्मनिर्भर बनाना पहली शर्त थी। तभी वह अपनी मुक्ति की वास्तविक लड़ाई लड़ सकती है। उन्होंने एक स्त्री के बारे में कही थी जो सीधे- सीधे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की स्त्रियों से जुड़ती हैं। वे कहती हैं "स्त्री अधीनस्थ जाति हैं। जाति का अर्थ है कि कोई उस जाति में उत्पन्न हुआ है और उससे बाहर नहीं जा सकता। जब कि सिद्धान्ततः एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन यदि आप औरत है तो कभी पुरुष नहीं बन सकती। और विशुद्ध रूप से एक जाति है, वर्ग नहीं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से औरतों के साथ होने वाला व्यवहार उन्हें एक अधीनस्थ जाति के रूप में निर्मित करता है।"[vi] यहाँ स्त्रियों की स्थिति दलित जैसी ही है।

ज्ञानेन्द्र रावत ने अपनी पुस्तक औरत अस्मिता और यथार्थ में कहते हैं कि “आदिम समाज में नारी का स्वतंत्र और सम्मानजनक आस्तित्व था, इसकी पुष्टि सिंधु-उपत्यका से प्राप्त नारी मूर्तियों से होती है। बहुसम्मत विचारों के अनुसार ये महामातृ देवी (महीमाता) या मातृरूप में स्थिति प्रकृति की मूर्तियाँ हैं। यह भारत के धार्मिक अनुश्रुति के अनुकूल भी है जहाँ अनादिकाल से मातृदेवी, आदीशक्ति या प्रकृति की पूजा प्रचलित रही है जिसे वेदों में पृथ्वी या पृथिवी कहा गया है। यही ऋग्वेद के आदित्यों की माता अदिति है। आर्य और अनार्य दोनों प्रकार की भारतीय प्रजा भुइयाँ आदि ग्राम देवियों से लेकर आज तक इसी अम्बिका या मातृदेवी के नाना रूपों की पूजा करती आई हैं।”[vii]

भारत में स्त्री मुक्ति आंदोलन के बारे में प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका लिखती हैं-“भारत में स्त्रीवादी आंदोलन के तीन चरण थे। उन्नीसवीं शताब्दी में पंडिता रामबाई, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि ने स्त्री- शिक्षा और स्वावलंबन की मुहिम का मार्ग प्रशस्त किया। कई ऐसी रूढ़ियाँ तोड़ते हुये जो स्त्रीजीवन, खासकर विधवाओं और अन्य एकाकी स्त्रियों का अंतरंग जीवन क्षत-विक्षत रखती थी।”[viii]

भारत में सभी वर्णों की स्त्रियों की मुक्ति की व्यवस्थित और कानूनी लड़ाई डॉ. भीमराव अंबेडकर ने ‘हिन्दू कोड बिल’ देकर लड़ी थी। इस बिल के तहत पुत्र के समान पुत्री को भी पिता की संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई थी। विवाह और तलाक के अधिकारों की मांग भी थी। जिसे तत्कालीन संसद ने यह बिल पास नहीं होने दिया था। जिससे निराश होकर डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से 10 अक्टूबर 1951 को इस्तीफा दे दिया था। इससे उन्हें बहुत दुःख पहुँचा था। इस बिल का विरोध करने वाले हिन्दू समाज के करपत्री जी जैसे साधू संत थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियों को आर्थिक रूप से पिता की संपत्ति में से कानूनी हक मिले और उनकी स्थिति सुधरे। वे आजाद भारत में भी अछूतों की तरह स्त्रियों पर भी हिन्दू वर्ण व्यवस्था के कानून को लादना चाहते थे। बाद में यह ‘हिन्दू कोड बिल’ टुकड़ों में पास हुआ था। व्यवहारिक रूप से स्त्रियों को आज भी उनका हक नहीं मिलता है अछूत स्त्रियों पर भी वही कानून लागू होता है।

## संदर्भ :

- [i] दीपक कुमार कमाने भावना सुश्री डॉ., (श्रीमती) डॉ. (सं.). सिन्हा शशिकला 2016 ). महिला सशक्तिकरण का वर्तमान परिदृश्य, समता प्रकाशन बजरंग नगर, रूरा कानपूर देहात 209303: पृ. सं. 52
- [ii] सागर राजमोहिनी डॉ., (सं.) (2021). समकालीन साहित्य स्त्री विमर्श. सोनिया बिहार दिल्ली: साहित्य संचय प्रकाशकपृ. सं. 133
- [iii] कस्तवार,रेखा. 2016).स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन प्रा.लि. पृ. सं.18,19
- [iv] हिलसायन, सुधीर अप्रैल (सं.). (2014). सामाजिक परिवर्तन के महानायक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर. नई दिल्ली: न्याय सन्देश पृ. सं.59
- [v] हिलसायन, सुधीर अप्रैल (सं.). (2014). सामाजिक परिवर्तन के महानायक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर. नई दिल्ली: न्याय सन्देश पृ. सं.59
- [vi] हिलसायन, सुधीर अप्रैल (सं.). (2014). सामाजिक परिवर्तन के महानायक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर. नई दिल्ली: न्याय सन्देश पृ. सं.60
- [vii] रावत, ज्ञानेद्र (2006). औरत अस्मिता और यथार्थ नई दिल्ली: क्रांति बुक सेंटर पृ. सं.287
- [viii] हिलसायन, सुधीर अप्रैल (सं.). (2014). सामाजिक परिवर्तन के महानायक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर. नई दिल्ली: न्याय सन्देश पृ. सं.6